कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख जिला देवास म.प्र.

देवास,दिनांक 06/06/2018

क्रमांक 5093 /स्था./भू.अभि./2018

प्रति,

उप संचालक,
जन सम्पर्क विभाग,
जिला देवास (म.प्र.)।

विषय:- प्रेस नोट जारी करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 1240/10 परीक्षा/2018 ग्वालियर,दिनांक 04.06.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के तहत जिला देवास में 173 पटवारी पदों हेतु पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग की तिथि 26/05/2018 निर्धारित की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिटपिटिशन 7933/2018 में पटवारी नियुक्ति स्थगित किये जाने के कारण दिनांक 26.05.2018 को आयोजित होने वाली दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही स्थगित की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेशानुसार काउसलिंग पर लगी रोक (स्थगन) को हटा लिया गया है । अत: दस्तावेज सत्यापन तथा काउसलिंग की तिथि 23.06.2018 को निर्धारित की गई है, कि निम्नानुसार प्रेस विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से जिला देवास में 173 पटवारी पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग की तिथि 26/05/2018 निर्धारित की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिटपिटिशन 7933/2018 में पटवारी नियुक्ति स्थगित किये जाने के कारण दिनांक 26.05.2018 को आयोजित होने वाली दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही स्थगित की गई थी।

माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेशानुसार काउसलिंग पर लगी रोक (स्थगन) को हटा लिया गया है । अत: दस्तावेज सत्यापन तथा काउसलिंग की तिथि 23.06.2018 को निर्धारित की गई है। सत्यापन की कार्यवाही उत्कृष्ट विध्यालय क्रमांक-2 जिला देवास में की जावेगी।

05/6/18

अपर कलेक्टर,
जिला देवास म.प्र.

क्रमांक 5094 /स्था./भू.अभि./2018 देवास,दिनांक 06/06/2018

प्रतिलिपि-
1- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2-आयुक्त,उज्जैन संभाग उज्जैन ।
3-उपायुक्त, भू अभिलेख उज्जैन संभाग उज्जैन ।
4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC जिला देवास की ओर भेजकर लेख है कि NIC पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

अपर कलेक्टर,
जिला देवास म.प्र.

D/Stablishment/N

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1187/10-परीक्षा/2018 ग्वालियर, दिनांक 24/05/2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-समस्त,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन, दस्तावेज परीक्षण के अभिलेख संधारण के संबंध में ।

विषयान्तर्गत लेख है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन, दस्तावेज परीक्षण हेतु दिनांक 26/05/2018 की तिथि निर्धारित कर निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है । प्रायः यह देखने में आता है कि सत्यापन की कार्यवाही के सम्पूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध होने की दशा में न्यायालयीन प्रकरणों में जबाव प्रस्तुत करने में कठिनाई आती है। अतः उपरोक्त कार्यवाही के अभिलेख संधारण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है -

1. प्रत्येक अभ्यर्थी हेतु पृथक से नस्ती तैयार की जाये तथा अभ्यर्थी से संबंधित निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक रूप से उस नस्ती में रखे जायें ।
   - 1.1. पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेज
   - 1.2. अभ्यर्थी को भेजे गये सूचना पत्र की पावती तथा जिले की वेबसाइट पर अपलोड किये गये सूचना पत्र का स्क्रीन शोट
   - 1.3. Revenue.mponline.gov.in पर दस्तावेज सत्यापन पश्चात् सत्यापन पर्ची का प्रिंट समिति के (सदस्यों के हस्ताक्षर पश्चात्)
   - 1.4. यदि अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन पश्चात् जिला अपग्रेड करने हेतु आवेदन दिया जाता है तो वह आवेदन
   - 1.5. प्रशिक्षण पर भेजने का आदेश/दस्तावेजों की जांच लंबित होने का सूचना पत्र
   - 1.6. अन्य आवश्यक दस्तावेज
2. दस्तावेज सत्यापन के दिन अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने पश्चात् तैयार की जायेगी ।
3. सभी सत्यापन समिति के अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एकजाई कार्यवाही विवरण तैयार किया जायेगा जिसमें निम्नानुसार जानकारी अवश्य होगी -
   - 3.1. समिति के सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर
   - 3.2. जिले को आवंटित सभी अभ्यर्थियों के नाम
   - 3.3. सत्यापन में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के नाम
   - 3.4. दस्तावेजों की कमी के कारण सत्यापन हेतुलंबित अभ्यर्थियों के नाम व स्पष्ट कारण
   - 3.5. सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों के नाम

787

4. उपरोक्त सभी अभिलेख संधारण करने की जिम्मेदारी अधीक्षक भू-अभिलेख की रहेगी ।
5. सत्यापन पश्चात् सात दिवस की समय सीमा में उपरोक्त दस्तावेजों को स्केन कर अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा Revenue.mponline.gov.in पर अपलोड कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें । साथ ही दस्तावेज सतयापन के दिवस पर सत्यापन केन्द्र पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 24 /05/2018

पृ.क्रमांक 1187/10-परीक्षा/2018

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. समस्त उपायुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त अधीक्षक, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश